न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: – 188 / 2022 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2022 / 589

1. सुशीला पुत्री लक्ष्मणदास जी जाति बैरागी,निवासी भावलिया तहसील निम्बाहेडा, हाल मुकाम घोसुण्डा, तहसील व जिला चित्तौडगढ राज. राज.

प्रार्थिया

बनाम

1. मांगी बाई नातायत पत्नि लक्ष्मणदास जी जाति बैरागी, उम्र वयस्क, निवासी भावलिया तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ राज. राज
2. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ राज.

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री रमेशचन्द्र गर्ग – अधिवक्ता प्रार्थीया
2– श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया की पैतृक पुश्तैनी, कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की कृषि भूमि ग्राम भावलिया, पटवार हल्का भावलिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांगरोल, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ में स्थित है जिसके खाता संख्या 238 पर दर्ज आराजी नम्बर 13रकबा 0.65 हैक्टर, आ.नं. 4 रकबा 0.76 हैक्टर किता 02 कुल रकबा 1.41 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में प्रार्थिया के पिता लक्ष्मण दास के नाम से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है।
2. प्रार्थिया स्वर्गीय लक्ष्मणदास की वैध विवाहिता पत्नि से उत्पन्न एक मात्र जायंदा पुत्री है इसके अलावा लक्ष्मणदास जी के अन्य कोई वारीसान नहीं है और विपक्षी संख्या 01 लक्ष्मणदास जी नातायत पत्नि होकर लक्ष्मणदास की उक्त आराजियात में उसका कोई हक हिस्सा कानूनन नहीं बनता है लेकिन विपक्षी संख्या 01 अपने पूर्व पति से उत्पन्न संतानों के बहकावे में आकर प्रार्थिया को उसके पिता की पैतृक कृषि भूमि के उपयोग उपभोग [illegible] मंशा से वह आये दिन प्रार्थिया को मौके से बेदखल कर आराजि[illegible] को हस्तान्तरित करने की धमकियां देती रहती है [illegible] संख्या 02 में वर्णित आराजियात का खातेदार [illegible] आवश्यक हो जाने से यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा का पेश है।
3. प्रार्थिया के पिता का स्वर्गवास हो चुका है और [illegible]र्थिया अपने पिता के जीव[illegible] से ही अपने पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज उपरोक्त आराजियात पर स्वर्गीय लक्ष्मणदास की वैध पुत्री होने से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थिया खातेदार स्व. लक्ष्मणदास की वैध पुत्री होकर उनकी उत्तराधिकारी है और उक्त आराजियात में जन्म से ही उसका हक हिस्सा कानूनन बनता है परन्तु विपक्षी संख्या 01 मात्र स्वर्गीय लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि होने से वह अपने पूर्व पति से उत्पन्न संतानों के बहकावे में आकर प्रार्थिया को पैतृक पुश्तैनी कृषि आराजियात से मेहरूम करना चाहती है और विपक्षी संख्या 01 द्वारा गुपचुप तरीकेसे उक्त आराजियात अन्य को हस्तान्तरित करने की पूरी पूरी संभावना है जिस कारण प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित सम्पूर्ण आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी सादिर फरमाई जावे।

4. प्रार्थिया के पिता खातेदार स्व. लक्ष्मणदास का स्वर्गवास होने के उपरांत प्रार्थिया ने अपने पिता के नाम दर्ज उपरोक्त आराजियात का विरासतीय इंतकाल अपने नाम खुलवाने के लिए तहसीलदार निम्बाहेडा के यहां भी आवेदन पेश किया लेकिन विपक्षी संख्या 01 ने तहसीलदार निम्बाहेडा को भी मामले में भ्रमित कर दिये जाने से विरासतीय इंतकाल प्रार्थिया के नाम नहीं खुल पाया है और तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा धारा 135 (2) की कार्यवाही की बात कहकर प्रार्थिया के नाम उक्त आराजियात का विरासतीय इंतकाल नहीं खोला जा रहा है और प्रार्थिया को तहसीलदार निम्बाहेडा के यहां से न्याय मिलने की कोई संभावना भी नहीं है जिससे भी प्रार्थिया को स्व. लक्ष्मणदास के नाम दर्ज उपरोक्त आराजियात का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हो जाने से यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा का पेश है।

5. उपरोक्त वर्णित आराजियात आज भी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिया के पिता स्वर्गीय लक्ष्मणदास के नाम पर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है और मौके पर कब्जा भी प्रार्थिया का होकर प्रार्थिया अपने पिता की कृषि भूमि पर काश्त कर रही है परन्तु विपक्षी संख्या 01 स्वर्गीय लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि होने से अपने पूर्व पति से उत्पन्न संतानों की बहकावे में आकर प्रार्थिया को पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि से बेदखल कर आराजियात अन्य को हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रही है जिससे विपक्षीया को मूल वाद के प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजियात जिस पर प्रार्थिया काबिज होकर काश्त कर रही है उसमें प्रार्थिया द्वारा किये जा रहे उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे एवं आराजियात किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील न तो स्वंय करे ना ही अपने नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी विपक्षीया के विरूद्ध प्रचलित फरमाई जावे।

6. उपरोक्त वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 01 का कोई कानूनन हक हिस्सा नहीं होते हुए भी यदि विपक्षी संख्या 01 ने उक्त आराजियात अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील कर दिया तो प्रार्थिया का वाद पत्र पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा एवं प्रार्थिया अपने पिता से मिलने वाली कृषि भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त से मेहरूम हो जायगी इसलिए भी विपक्षीया को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वाद वर्णित आराजियात में प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे एवं आराजियात किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे तथा विपक्षी संख्या 01 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजियात में प्रार्थिया द्वारा किये जा रहे उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे एवं आराजियात किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कलेक्टर निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

तरीके से हस्तान्तरित न तो स्वंय करे ना किसी अन्य से करावे एवं मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाखे रखे।

7. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 की और से उनके अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा निवेदन किया कि कि

i. उक्त आराजियात ग्राम भावलीया प०ह० भावलिया तह निम्बाहेडा में स्थित है आराजी नम्बर व रकबा सही अंकित किया गया हैं उक्त आराजियात प्रार्थिया की पुश्तैनी पैतृक नही हैं तथा प्रार्थिया लक्ष्मणदास की जाईन्दा पुत्री नही होकर गेलड पुत्री है इसलिए उक्त कलम अस्वीकार हैं।

ii. प्रार्थिया लक्ष्मणदास की वैध विवाहीता पत्नि से उत्पन्न एक मात्र जाईन्दा पुत्री नही हैं, लक्ष्मणदास की पहली पत्नि श्यामुबाई थी, जो विवाहके 2–3 वर्ष बाद ही लाऔलाद फोत हो गई थी। जिसके बाद लक्ष्मणदास द्वारा अणछीबाई ने नाता विवाह किया, अणछीबाई के दो संतान हुई जो बचपन मे ही फोत हो गई, तथा अणछीबाई द्वारा लक्ष्मणदास को छोड कर अन्य के साथ नाता विवाह कर लिया। जिसके बाद लक्ष्मणदास द्वारा तीसरा विवाह सायरी बाई के साथ किया, सायरीबाई अपने पूर्व पति की संतान जो करीब 6 माह की थी को साथ लेकर आई जो प्रार्थिया सुशीला थी, प्रार्थिया लक्ष्मणदास की जाईन्दा पुत्री नही हैं। सायरी के भी एक संतान हुई जो 5 वर्ष की उम्र में फोत हो गई, उसके बाद सायरी की भी मृत्यु हो गई, तथा सायरी की मृत्यु के बाद लक्ष्मणदास द्वारा मांगीबाई के साथ नाता विवाह किया मांगीबाई भी अपने साथ दो पुत्रियां लेकर आई, तथा मांगीबाइ के भी एक संतान लक्ष्मणदास के नुत्फे से हुई जो भी बचपन में ही फोत हो गई। इस प्रकार वर्तमान में लक्ष्मणदास की एक मात्र विधिक वारिसान उसकी पत्नि विपक्षी नं० 1 मांगीबाई हैं। प्रार्थिया उसकी विधिक वारिसान नही है क्योंकि प्रार्थिया लक्ष्मणदास के नत्फे से पैदा हुई संतान नही है बल्कि सायरीबाई के पूर्व पति से उत्पन्न संतान है जो लक्ष्मणदास नातायत पत्नि सायरी बाई के पूर्व पति के नुत्फे से पैदा हुई हैं इसलिए प्रार्थिया सुशीला लक्ष्मणदास की गेलड पुत्री हैं, प्रार्थिया लक्ष्मणदास की वैध पुत्री नही हैं इसलिए उक्त आराजियात मे प्रार्थिया का कोई हक हिस्सा नही बनता हैं, विपक्षी नं० 1 लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि हैं, इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजियात में लक्ष्मणदास की विधिक वारिसान होने के नाते विपक्षी नं० 1 का हक हिस्सा होकर विपक्षी नं० 1 अपने पति के समय से वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं, तथा लक्ष्मणदास ने अपने जीवन काल में ही प्रार्थिया का विवाह कर दिया था और प्रार्थिया अपने ससुराल में अपने पति के हक हिस्से की आराजियात पर काबिजहोकर उपयोग उपभोग कर रही हैं, वादग्रस्त आराजियात पर किसी भी प्रकार से प्रार्थिया का कोई कब्जा नहीं हैं। प्रार्थिया को बेदखल करने का तथ्य गलत अंकित किया हैं, विपक्षी नं0 1 वादग्रस्त आराजियात की विधिवत खातेदार काश्तकार हैं तथा वादग्रस्त आराजियात का स्वतंत्र रुप से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार विपक्षी नं० 1 को प्राप्त हैं इसलिए प्रार्थिया को किसी भी प्रकार से प्रार्थना पत्र की कलम नं0 2 मे वर्णित आराजियात की खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना उचित नही हैं। इस प्रकार चरण संख्या 3 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

iii. लक्ष्मादास का स्वर्गवास हो [illegible] वादग्रस्त आराजियात पर कभी भी कोई कब्जा नही रहा है प्रार्थिया का वि[illegible] के बाद से प्रार्थिया अपने पति की सम्पत्ति पर काबिज हो[illegible] हैं। विपक्षी नं० 1 लक्ष्मणदास की नातायत प[illegible]त ने लक्ष्मणदास की विधिक वारिसान होने के [illegible] हिस्सा होकर विपक्षी नं० 1 अपने पति के समय से वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात प[illegible]काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। लक्ष्मणदास की एक मात्र विधिक वारिसान उसकी पत्नि विपक्षी नं० 1 मांगीबाई हैं। प्रार्थिया उसकी विधिक वारिसान नही है क्योंकि प्रार्थिया लक्ष्मणदास के नुत्फे से पैदा हुई संतान नही है बल्कि सायरीबाई के पूर्व पति से उत्पन्न संतान है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि सायरी बाई के पूर्व पति के नुत्फे से पैदा हुई हैं, इसलिए प्रार्थिया सुशीला लक्ष्मणदास की गेलड पुत्री हैं। इसलिए प्रार्थिया का कोई जन्म से अधिकार नही बनता हैं। प्रार्थिया लक्ष्मणदास की विधिक वारिसान नहीं हैं, तथा वादग्रस्त आराजियात पर किसी भी प्रकार से प्रार्थिया का कोई कब्जा नहीं हैं।प्रार्थिया का दखल करने का तथ्य गलत अंकित किया हैं, विपक्षी नं० 1 वादग्रस्त आराजियात की विधिवत खातेदार काश्तकार हैं, तथा वादग्रस्त आराजियात का स्वतंत्र रुप से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार विपक्षी नं० 1 को प्राप्त हैं। इसलिए प्रार्थिया को किसी भी प्रकार से प्रार्थना पत्र की कलम नं0 1 मे वर्णित आराजियात की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित नही हैं। इस प्रकार चरण संख्या 4 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

iv. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 का जवाब इस प्रकार है कि लक्ष्मणदास का देहान्त हो गया है, तथा स्व० लक्ष्मणदास की एक मात्र विधिक वारिसान उसकी पत्नि विपक्षी नं० 1 मांगीबाई हैं। प्रार्थिया उसकी विधिक वारिसान नही है क्योंकि प्रार्थिया लक्ष्मणदास के नुत्फे से पैदा हुई संतान नही है बल्कि लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि सायरीबाई के पूर्व पति से उत्पन्न संतान है जो लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि सायरी बाई के पूर्व पति के नुत्फे से पैदा हुई हैं, इसलिए प्रार्थिया सुशीला लक्ष्मणदास की गेलड पुत्री हैं। इसलिए प्रार्थिया का कोई जन्म से अधिकार नही होने से प्रार्थिया के नाम से इंतकाल नहीं खोला जा सकता हैं, धारा 135 (2) के तहत प्रार्थिया के लक्ष्मणदास की जाईन्दा पुत्री नहीं होने से इंतकाल नही खोला जा सकता है जो कि सही हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी प्रार्थिया इंतकाल खुलवाने की अधिकारीणी नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थिया लक्ष्मणदास की जाईन्दा पुत्री नही हैं। इस प्रकार उक्त चरण सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

v. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 का जवाब इस प्रकार है कि विपक्षी नं० 1 के पति लक्ष्मणदास का देहान्त हो गया है, तथा वादग्रस्त आराजियात लक्ष्मणदास के नाम खातेदारी मे दर्ज थी, किन्तु मौके पर कब्जा विपक्षी नं० 1 का अपने पति स्व० लक्ष्मणदास के समय से चला आ रहा हैं, प्रार्थिया का कभी कोईकब्जा किसी हैसियत से वादग्रस्त आराजियात पर नही रहा है। प्रार्थिया लक्ष्मणदास के नुत्फे से पैदा हुई संतान नही है बल्कि लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि सायरीबाई के पूर्व पति से उत्पन्न संतान है जो लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि सायरी बाई के पूर्व पति के नुत्फे से पैदा हुई हैं, इसलिए प्रार्थिया सुशीला लक्ष्मणदास की गेलड पुत्री हैं। इसलिए प्रार्थिया उक्त आराजियात को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने की अधिकारीणी नहीं हैं, इसलिए प्रार्थिया विपक्षीगण को किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी नं० 1 अपने पति स्व० लक्ष्मणदास की सम्पत्ति पर काबिज होकर स्वतंत्र रुप से हर प्रकार से उपयोग उपभोग व हस्तांतरीत करने को स्वतंत्र हैं। इसलिए उक्त चरण सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

vi. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 का जवाब इस प्रकार है कि विपक्षी नं० 1 लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि हैं, इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजियात में लक्ष्मणदास की विधिक वारिसान होने के नाते विपक्षी नं० 1 का हक हिस्सा होकर विपक्षी नं० 1 अपने पति के समय से वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। लक्ष्मणदास की एक मात्र विधिक वारिसान उसकी पत्नि विपक्षी नं0 1 मांगीबाई हैं। विपक्षी नं0 1 अपने पति स्व० लक्ष्मणदास की सम्पत्ति पर काबिज होकर स्वतंत्र रुप से हर प्रकार से उपयोग उपभोग व हस्तांतरीत करने को स्वतंत्र हैं। प्रार्थिया का कभी कोई कब्जा किसी हैसियत से वादग्रस्त आराजियात पर नहीं रहा हैं। प्रार्थिया लक्ष्मणदास के नुत्फे से पैदा हुई संतान नही है बल्कि लक्ष्मणदास की नातायत पत्नि सायरीबाई के पूर्व पति से [illegible] नातायत पत्नि सायरी बाई के पूर्व पति के नुत्फे से पैदा हुई हैं, इस[illegible] सुशीला लक्ष्मणदास की गेलड पुत्री हैं इसलिए प्रार्थिया क[illegible] व कब्जा किसी हैसियत से नही होने से प्रार्थिया किसी [illegible] विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने की अधिकारीणी नही है इसलिए उक्त चरण सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

vii. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थिया का जब उक्त आराजियात पर कोई कब्जा किसी हैसियत से है ही नही तो बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं, अगर प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:02 IST
Reason: SelfAttested

4—6 सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

अपूर्णिय क्षति प्रतिवादी नं० 1 को होगी प्रार्थिया को नही, इसलिए उक्त चरण सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

viii. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 अस्वीकार हैं, प्रार्थिया का जब उक्त आराजियात पर कोई कब्जा किसी हैसियत से है ही नही तो प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में होना स्वीकार नही हैं, अगर प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो अपूर्णिय क्षति प्रतिवादी नं० 1 को होगी प्रार्थिया को नही, इसलिए उक्त चरण सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

8. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विश्लेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थिया की पुश्तेनी पेतृक आराजियात है जिसमे प्रार्थिया का जन्म से हक अधिकार है और और प्रार्थिया का अपने पिता की जमीन में पुश्तेनी हक हिस्सा निहित है यदि विपक्षीगण प्रार्थिया के हक हिस्से की आराजियात उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थिया को अपूर्णिय क्षति होगी इस प्रकार प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>–किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। विपक्षी प्रार्थिया के पिता की जमीन को उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल करने पर आमदा है जबकि प्रार्थिया का अपने पिता की जमीन में पुश्तेनी हक हिस्सा निहित है यदि विपक्षी क्रमांक 1 प्रार्थिया के हक हिस्से की आराजियात को उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थिया को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपूरणीय क्षति होना साबित होता है।

III. <u>सुविधा का संतुलन</u> :–किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थिया के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में साबित [illegible] पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया की पुश्तेनी पेतृक खातेदारी [illegible] हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में साबित हुए हैं। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

—:आदेश:—

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है ग्राम भावलिया, पटवार हल्का भावलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के आराजी नम्बर 13 रकबा 0.65 हैक्टयर, आ.नं. 4 रकबा 0.76 हैक्टयर कृषि भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner